ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

मुगल काल में पशु-पक्षी चित्रण : अकबर कालीन चित्रकला के विशेष सन्दर्भ में–डॉ० शैलेन्द्र कुमार
निराला के काव्य में भारतीय संस्कृति–डॉ० भंवर लाल प्रजापत 129
संदेशकाव्य-परम्परा में 'मेघदूतम्' और 'संदेशरासक' : एक तुलनात्मक विवेचन–नर्मदा 132
तत्त्वार्थसूत्र में वर्णित जैन जीवन शैली द्वारा युगीन समस्याओं के समाधान–विकास जैन 138
भारतीय संस्कृति की रीढ़ जनक की बेटियां–डॉ० सविता डहेरिया 141
हरिसुमन बिष्ट के कथा-साहित्य में चित्रित दलित वर्ग–डॉ० नवीन चन्द्र 144
सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का स्तर: (रीवा के विशेष सन्दर्भ में)–डॉ० अमरजीत कुमार सिंह; गोकरण प्रसाद कुशवाहा 147
दलित साहित्य और साहित्यिकता–कमल किशोर कण्डावरिया 151
मृदुला सिन्हा के कथा-साहित्य में वर्णित सामाजिक समस्याएँ–डॉ० ब्रह्मदत्त शर्मा; डॉ० सुमेधा शर्मा 157
रामनगर क्षेत्र का व्यापारिक महत्व: एक ऐतिहासिक अध्ययन–कु० सीमा 159
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कपिलधारा कूप योजना का हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान का अध्ययन (सरदारपुर तहसील के विशेष सन्द्रर्भ में)–डॉ० डुंगरसिंह मुजाल्दा 162
स्नातक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अधिगम शैली प्राथमिकताओं एवं व्यक्तित्व शीलगुणों का अध्ययन–डॉ० पूर्णिमा नराणियां 164
छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात में असमानता–डॉ० आर०एन० यादव; प्रो. ए. श्रीराम 174
समकालीन लोकतांत्रिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूप व समाधान–डॉ० आरती यादव 182
कोशी क्षेत्र में तालाब, चौर और मोईन की उपयोगिता एवं महत्व–डॉ० मो० रफत परवेज 188
अपना मोर्चा उपन्यास में वर्णित छात्र आन्दोलन–सुखबीर कौर 191
मुरिया जनजाति का परम्परागत शिक्षा केन्द्र: घोटुल–डॉ० बन्सो नुरूटी; पुरोहित कुमार सोरी 195
बुद्धकालीन स्त्रियों की राजनीति में भूमिका–डॉ० अजय कुमार सिंह 197
विजय दान देथा के कथा साहित्य में नारी–डॉ० विदुषी आमेटा; भूमिका 202
उच्च शिक्षा में छात्राओं की खेलों में सहभागिता की स्थिति का अध्ययन (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) –कु० सायमा सरदेशमुख; डॉ० रवि कुमार 204
नागरिकों को लेकर राष्ट्रीय मुद्दों व नए मीडिया का अध्ययन (गुरूग्राम लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में)–हिमांशु छाबड़ा 207
माध्यमिक स्तर के विकासात्मक शिक्षा में समस्याएँ एवं संभावनाएँ –डॉ० शोभना झा; डॉ० संजीत कुमार साहू; डॉ० राकेश कुमार डेविड 211
आदिवासी जीवन संघर्ष और साहित्य–डॉ० ओम प्रकाश सैनी 216
कारावास की समस्या बनाम पीछे छूटे बच्चे–डॉ० रेखा ओझा 219
कृषि विकास एवं वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ० रतन लाल; डॉ० विवेक सिंह 224
दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते कदमों के बीच भारत की बदलती-पड़ोस की नीति–हिमांशु यादव 229
असगर वजाहत के उपन्यासों में अभिव्यक्त "साम्प्रदायिकता"–माया देवी; डॉ० मृदुल जोशी 236
निजता एंव वर्तमान सूचना क्रांति: एक विश्लेषण–रूबीना; डॉ० कैलाश चन्द्र 240
झुग्गी झोपड़ी में निवासरत महिलाओं की समस्या (बिलासपुर शहर के विशेष संदर्भ में)–कु० आरती तिर्की; डॉ० ऋचा यादव 244
आर्यसमाज की हिंदी पत्रकारिता और स्वदेशी जागरण–विरेन्द्र कुमार 247
मौलाना अबुल कलाम आजाद के शैक्षिक विचार–डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय 251
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना–डॉ० विभा मिश्रा 256
अशिक्षा का जनजातीय जीवन पर प्रभाव और उसकी औपन्यासिक अभिव्यक्ति–डॉ० उमेश कुमार पाण्डेय 259
आज भी शोषित है नारी–डॉ० आंचल श्रीवास्तव; सौ० प्रभा दुबे 262
265

कृषि विकास एवं वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ० रतन लाल

असि० प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय पी० जी० कालेज, फरीदपुरए बरेली (उ०प्र०)

डॉ० विवेक सिंह

असि० प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, पी.पी.एन. कॉलेज, कानपुर (उ०प्र०)

सारांश

भारत में कृषि प्राचीन काल से ही किसानों एवं खेतिहार मजदूरों की जीविका का साधन रही है। वर्तमान में भी 65 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध दोनों का योगदान जी.डी.पी. में 14 प्रतिशत के लगभग है। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर घघ्टता जा रहा है, तो दूसरी ओर किसानों की मानसूनी वर्षा पर निर्भरता एवं जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में जोखिम और अनिश्चतता हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में फसल अच्छी न होने की स्थिति में जब किसान ऋण चुका पाने में असमर्थ हो जाते है, तो कई तरह के दबाव में आकर किसान आत्महत्या करने का अन्तिम विकल्प चुनते है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय रिर्जव बैंक और नाबार्ड ने वर्ष 1998 में लागू कि थी, इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी जरूरतों के लिए समय पर कृषि वित्त उपल्बध कराना है, साथ ही उन्हे सूदखोरो के जाल से भी मुक्त कराना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ग्रामीण कृषि व्यवस्था में पिछले 20 वर्षो में बडेघ सकारात्मक परिवर्तन आये है, और इससे किसानों के जीवन स्तर में एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। वर्ष 2019-20 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य रू. 13,5 0,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरुद्ध कृषि ऋण वितरण की उपलब्धि रू. 13, 92, 469.81 करोड़ रही थी। 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य रू. 15,00,000 करोड़ निर्धारित किया गया थे और 30 नवंबर, 2020 तक रू. 9,73,517.80 करोड़ कृषि ऋण की राशि वितरित की गई थी।

मुख्य बिन्दुः- कृषि उत्पादन, जोखिम, अनिश्चतता, कृषि श्रमिक, कृषि पूंजी, कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा।

परिचय

भारत एक विकासशील एवं कृषि प्रधान तथा गांव का देश है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की 68.84 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। कृषि ग्रामीण अर्थवस्था का आधार स्तम्भ होने के साथ ही ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय भी है, जिसमें 52 प्रतिशत के लगभग लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। चूंकि हमारे देश की लगभग 68.84 प्रतिशत आबादी गांव में रहती हैं, इसीलिए जब तक ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तब तक देश में पूरी तरह से समृद्धि नहीं आ सकती और इस संमृद्धि की धुरी है किसान। जब तक खेती करने वाले किसान, समृद्ध नही होगें तब तक देश की संपूर्ण संमृद्धि की कल्पना अधुरी रहेगी, क्योंकि जब किसान खाद, बीज, पानी, कृषि उपकरण आदि के लिए किसी और पर आश्रित न होकर स्वयं पर आश्रित होगे, तो उनमें खेती के प्रति उत्साह रहेगा, इसी उत्साह को कायम रखने के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलायी गयी। हालाकि इन योजनाओं से किसानो का पूरी तरह भला नही हो पाया है, किसान अपने हिसाब से जब चाहे तब खेती से संबधित आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्हे पूंजी मुहैया कराने की जरूरत है, ऐसी पूंजी जो सस्ते ब्याज दर पर मिल सके और किसान अपनी सुविधा के अनुसार उस पूंजी की अदायगी कर सके, और यदि किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो उसके कृषि ऋण की भरपाई फसल बीमा से होनी चाहिए, इस मुद्दे पर निरंतर विचार चलता रहा और वर्षो के प्रयास के बाद यह पूंजी मिली है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में।

आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाभ नेहरू ने कहा था कि 'जब तक किसान खुशहाल नही होंगा तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नही हो सकता। नेहरू जी के इस मंत्र को भारत सरकार ने अपनाया, उस समय भारत सरकार की चिंता का केन्द्र बिन्दु खेत और खेतिहर किसान

रहे थे। इस चिंता का निराकरण के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना (अगस्त 1998) में शुरू की गयी इससे किसानों को अत्यन्त कम ब्याज दरों पर अल्पकालीन सस्ता ऋण मुहैया कराया जा रहा है, समय पर भुगतान करने वाले कृषकों को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज की दर भुगतान करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड देश के सभी वाणिज्यिक बैंको, राष्ट्रीयकृत बैंको, तथा ग्रामीण बैंको के माध्यम से दिये जाते है। साथ ही बैंको के द्वारा दिये गए ये ऋण प्राथमिकता के दायरे में आते है, इसके अलावा जोखिमों को किसानों की तत्कालिक जरूरतो के लिए समय पर कृषि वित्त उपलब्ध हो रहा है और किसान सूदखोरों के जाल से बच गए है, जिससे किसानों का जीवन स्तर भी ऊँचा हो उठ रहा है, (दन्त, रूद्र एवं सुन्दरम, 2018)[1]।

किसान क्रेडिट कार्ड की विशेषताएँ

- स्वीकृति साख सीमा तक राशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार वर्ष भर में कितनी ही बार में किया जा सकता है।
- प्रत्येक आहरण की वापसी के लिए अधिकतम 12 माह की अवधि तय होती है। 3 वर्ष तक ऋण की चक्रये सुविधा रहती है।
- वार्षिक ऋण की वापसी पर बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुरूप ऋण सीमा को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही ऋण अवधि 5 की जा सकती है
- रू. 5000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए प्राप्त किसान, किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के हकदार है यह कार्ड किसानों को उनकी भूमि के आधार पर जारी किए जाते है।
- वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध है।
- प्रकृतिक आपदा से फसल को हुई क्षति की दशा में ऋणों का पुन:चक्रण किए जाने की सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ

- कृषि से संबंधित कर्ज के संचालन के लिए ऋण उपलब्ध है।
- डेयरी व मुर्गी सहित अन्य प्रकार की अनुशंगी सेवाओं के कार्यशील पूंजी हेतु ऋण सुविधा दी जाती है।
- कृषि कार्य हेतु बीज, खाद की बैंक की शाखा द्वारा निर्मित विक्रेता से खरीदारी की जाती है।
- डीलर से नकद खरीदार पर छूट प्रदान की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- किसान क्रेडिट धारकों को कम व्याज दर पर बैंकों से कृषि ऋण उपलब्ध है।
- फसल कटाई के बाद कृषि ऋण आदायगी का प्रावधान किया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए ऋण राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा हेतु पात्र होता है तथा दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी आवरण किया जाता है।

नवीनतम साख सीमा की दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को निम्न वर्गो में विभाजित किया गया है -

वर्ग	ऋण सीमा की स्वीकृति (रूपये में) की आवश्यक शर्ते
A.	50 हजार तक 100 प्रतिशत, फसल बंधक
B.	50 हजार से 1 लाख तक फसल बंधक तथा भूमि का बंधक अथवा तृतीय पक्ष की गारन्टी पर
C.	1 लाख से तीन लाख तक फसल एवं भूमि का बंधक होना आवश्यक

उपर्युक्त साख सुविधा पर वित्तीय व्याज की दर 9 प्रतिशत थी, वित्तीय वर्ष 20006-7 में इसे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया, केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नावार्ड को 2.5 से 4.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से सहायता प्रदान की जारही है। समय पर ऋण वापसी करने वाले किसान क्रेडिट धारक को 4 प्रतिशत पर यह ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इस कार्ड को ऐसे समस्त कृषक प्राप्त कर सकते है जो 5000 रूपये या इससे अधिक की उत्पाद साख प्राप्त करने की पात्रता रखते है, इस योजना में कृषक की भूमिका आकार सिंचाई सुविधाओं तथा उत्पादक क्रियाओं जैसी स्थितियों को ध्यान में रख जाता है। साख सीमा का निर्धारण जोत, फसल प्राविधिक और वित्त श्रेणी के आधार पर किया जाता है, (मिश्र एवं पुरी, 2018)[2]।

शोध समस्या (कृषि ऋण)

ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि साख के लिए सरकार एवं आर0बी0आई0 द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाएं जा रहे है, किन्तु भारत के छह लाख से अधिक गांवों वित्तीय क्षेत्र की परिधि में लाना कोई आसान काम नही है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित हमारे गांव विकास के मानक से बहुत पीछे है, जहाँ वित्तीय जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता का अभाव है, वहा वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि लोगों को यथा शीध्र बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए।

भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या कोई नयी नही है, यह समस्या उतनी ही पुरानी हे जितनी की भारतीय कृषि। भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता था, और ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है, ऐसी स्थितियों में कृषि साख में किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था न कि गयी होती तो किसानों

को खून चूसने वाले महाजन व साहूकार उनका शोषण करते, (लाल, 2019)[3]। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के समक्ष मुख्य समस्याए है जो निम्नलिखित है:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में आज भी किसान बैंकों के प्रति पूर्ण विश्वास न होने के कारण वह बैंक जाने में संकोच करते है। बैंकों का उद्देश्य लाभ पर आधारित होता है, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से बैंकों कोई लेना देना नही हैं।
- ग्रामीण बैंकिंग एवं सहकारी समितियों के कर्मचारियों का रवैया किसानों के प्रति सकारात्मक नही रहता हैं, अधिकतर कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहतें हैं।
- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों की बुनियादी एवं ढांचागत सुविधाओं की आज भी कमी है, जैसे बिजली की आपूर्ति एवं इंटरनेट स्पीड एवं यातायात के साधन। बैंक के कर्मचारी व अधिकारी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में तैनाती नहीं चाहते और वह पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नही करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता का अभाव है और बैंकिंग प्रक्रिया बहुत ही जटिल है।

उद्देश्य

1. सार्वजनिक क्षेत्र की ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा प्रदत्त क्रेडिट कार्ड ऋणों का अध्ययन।
2. कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन।
3. कृषि साख के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना का समीक्षात्मक अध्ययन।

शोध विधि

शोध कार्य मुख्य रूप से द्वितियक समंक पर आधारित हैं, द्वितियक समंकों का संकलन सार्वजनिक प्रालेख के माध्यम से किया गया है, इसके अलावा शोध पत्र, सर्वे, इंटरनेट, टेलीविजन तथा पुस्तकों, एवं विभिन्न विभागों (कृषि क्षेत्र) की रिर्पोटो से तथ्य लिये गए है।

परिकल्पना :- शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएँ ली गयी है -

H_0. किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानो को सूदखोरों एवं साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने मे सहायक नही है।

H_1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसान सूदखोरों एवं साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में सहायक है।

कार्यक्षेत्र

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए कार्य सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण अर्थव्यस्था एवं कृषि क्षेत्र को चुना हैं।

शोध विश्लेषण

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिन्दु व ग्रामीण जीवन की धुरी है, आर्थिक जीवन का आधार रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को आधार शिला कहा जाय तो कोई अति श्योक्ति नही होगी। देश की कुल श्रम शक्ति का 52 प्रतिशत के लगभग श्रम कृषि क्षेत्र से ही जीविकोपार्जन कर रही है। आजादी के बाद कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए एवं खेती को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए देश के प्रथम प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि दूसरी हर चीज इंतजार कर सकती है मगर खेती नहीं। उनके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान जय किसान" का नारा देकर किसनों की नीतियों को केन्द्र में लाने की कोशिश की, मगर अफसोस हैं कि यह सिर्फ नारा ही बनकर रह गया, जो किसान कड़ी धूप, मूसलाधार बारिश, सूखे की मार सहकर भारत के 130 करोड़ लोगो को खाद्यान्न उपलब्ध कराते है, उन्हे कभी कोई राष्ट्रीय नागरिक सम्मान नही मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के साढ़े छह दशकों के बावजूद जिन कृपकों को अपने परिवार के सदस्यों से गैर कृषि साख से सहायता नहीं मिलती, वे भारी मुसीबत में है, वे धीरे-धीरे किसान से भूमिहीन मजदूर बनने को अभिशप्त है। इसी क्रम में कृषि विकास में कृषि साख की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने किसानों को उचित ब्याज दर एवं सही समय पर कृषि ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गयी । किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान न सिर्फ सूदखोरों के जाल से बच गए बल्कि उनका जीवन स्तर भी ऊँचा हो रहा है (Selvam, 2011)[4]।

भारत में कृषि ऋण

भारत में संसाधनों की कमी वाले छोटे और सीमांत किसानों के बड़े अनुपात को देखते हुए, कृषि गतिविधियों की सफलता के लिए पर्याप्त ऋण की समय पर उपलब्धता मौलिक होनी चाहिए है। वर्ष 2019-20 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य रू. 13,5 0, 000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि रू. 13, 92, 469.81 करोड़ थी। 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य रू. 15,00,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और 30 नवंबर, 2020 तक रू. 9,73,517.80 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में घोषित कृषि अवसंरचना कोष कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को और बढ़ावा देगा। हालाँकि, कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण दक्षिणी क्षेत्र के पक्ष में तिरछा हो गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों का हिस्सा बहुत कम रहा है (मानचित्र-1)

मानचित्र 1: 2020-21 में भारत में कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण

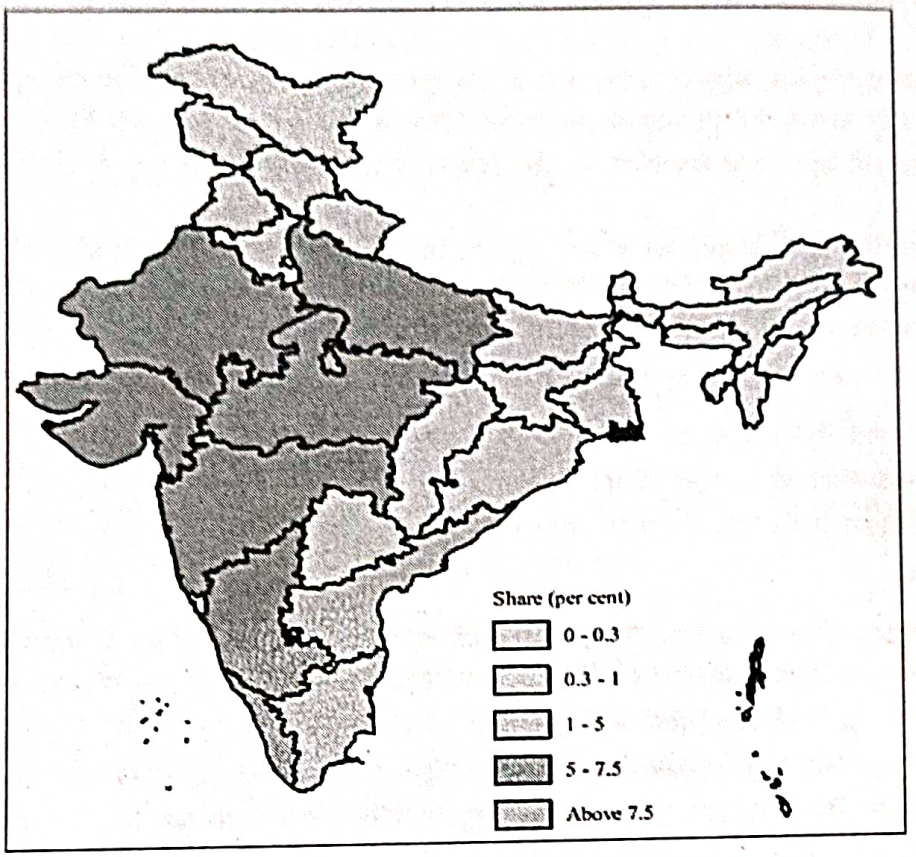

स्रोत: आर्थिक सर्वे 2020-21 (अध्याय -7)

वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 नवंबर, 2020 को कुल संवितरण में, अंश दक्षिणी क्षेत्र का कृषि ऋण 40 प्रतिशत से अधिक था जबकि यह 2 प्रतिशत से कम था उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए प्रतिशत। एनईआर में कृषि ऋण का यह निम्न कवरेज है क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल खेती योग्य भूमि कुल का केवल 2.74 प्रतिशत है देश का जीसीए इसके अलावा, अधिकांश पूर्वी उत्तर राज्यों में भूमि का सामुदायिक स्वामित्व प्रचलित है राज्य। इन दो कारकों ने पूर्वी उत्तर राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) ऋणों के उपयोग को प्रभावित किया हैं, क्योंकि ये किसान क्रेडिट कार्डका ऋण भूमि दस्तावेज के बदले दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण सकारात्मक रूप से सकल फसली क्षेत्र से संबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे लघु एवं सीमान्त किसानों को अधिक से अधिक कृषि ऋण देना सुनिश्चित करें। जैसा कि चित्र -1 में दिखाया गया है (Government of India, 2020-21)[5]।

चित्र 1: कृषि ऋण संवितरण और सकल फसली क्षेत्र सकारात्मक रूप से संबंधित हैं

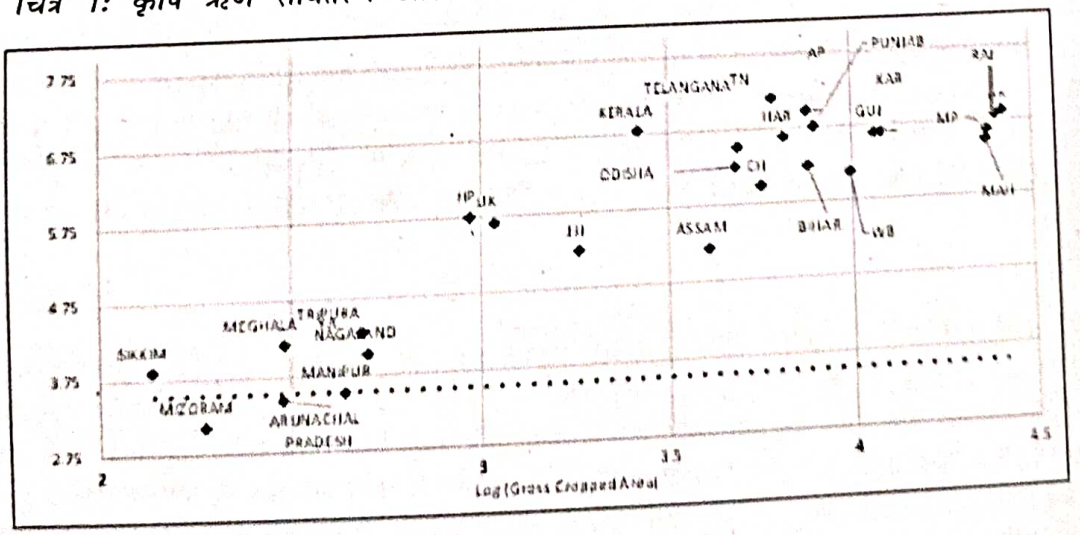

स्रोत: आर्थिक सर्वे 2020-21 (अध्याय -7)

आर0बी0आई0 एवं नाबार्ड की पहल से आया किसान क्रेडिट कार्ड

दरअसल सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं चलाएं जाने के बाद भी सूदखोरों का जाल टूट नहीं रहा था, क्योंकि किसानों को कई चरणों में पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी बीज के लिए तो कभी खाद के लिए, ऐसे मे वे अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी सूदखोर का ब्याज नही चुकापाते। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सर्वे करवाया, सर्वे में यह बात सामने आयी थी कि यदि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को फसलवार पैसा मिल सके फिर क्या था। सरकार ने 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने को घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी संभाली आर0बी0आई0 एवं नाबार्ड ने इस योजना में किसानों को उसकी जोत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया गया, उन्हे जितने रूपये की जरूरत है उतना रूपया बैंक से आसानी से मिल जा रहा है। किसान क्रेडित कार्ड का उद्देश्य बैकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय पर सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती व जरूरी उपकरणो की खरीद के लिए वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

आज हर किसान के हाथ में जो कार्ड है और जिसके दम पर देश में खुशहाली आयी है, उसकी पहल भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के सयुक्त रूप से की थीं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को ज्यादा भाग दौंड़ की भी जरूरत नहीं है। वे अपने इलाके में स्थित बैंक में जाए और आवेदन कर दे। किसानो को पासबुक दी जाती है, इसमें पासबुक पर किसान का नाम व पता भूमि जोत वितरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटों लगाया जाता है जो पहचान पत्र का में भी काम आता है। ऋण का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड सह पासबुक दिखाना होता है, इस योजना मे ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान 10 हजार रूपये तक ऋण लेते है, उन्हे 15 से 25 की फीसदी तक मर्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है, इस योजना के तहत किसान खरीफ एवं रवी सीजन मे 50 हजार रूपये तक का ऋण ले सकता है, (Chanda, 2019)[6]।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

जिन किसानों के पास के0सी0सी0 कार्ड होता है, उन्हें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना देश के सभी किसान क्रेडिट धारकों की मूल या स्थायी अक्षमता को शामिल करती है। इसमें 70 वर्ष तक की आयु के सभी कार्ड धारकों को शामिल किया गया है। यदि कार्ड धारी किसान की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनो को 50,000 रू. एवं स्थायी पूर्ण अक्षमता की स्थिति में भी 50,000 रू- प्रदान किये जाते है। इसके अलावा यदि दो अंग या दोनो आंख या एक अंग तथा एक आंख खो जाने पर भी परिजनो को 50,000 रू देने का प्रावधान है, इसी तरह एक अंग या एक आंख खराब हो जाने पर कार्ड धारी किसान को 25,000 रू देने का प्रावधान किया गया है, जिन मामलो में वार्षिक प्रीमियम भरा जाना एक वर्ष की अवधी के लिए प्रभावी होता है। तीन वर्ष की अवधि वाले बीमा के मामले बीमा प्रीमियम प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष तक होगा, (Ahmad, 2019)[7]।

किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण

केन्द्र सरकार मौजूदा बजट में किसानों को सस्ती व्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की घोषणा की है। वर्ष 2020-21 बजट में केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान समय पर ऋण चुकाएंगे उन्हें सिर्फ चार फीसदी व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान परिवेश में ज्यादातर खेतिहर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले रहे है, इससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गाँव से सूदखोरी प्रथा खत्म हो गयी है। चूंकि पैसे के अभाव में किसान गांवों में रहने वाले साहूकार, महाजन पर आश्रित रहते है। खेती के लिए वह यह जानते हुए भी कि साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करता है, फिर भी उसके पास कर्ज लेने जाता था । इसी तरह खाद, बीज के लिए का व्यापारी भी किसान से मुँह माँगी कीमत वसूलते थे। फिर भी किसान उनसे खाद बीज खरीदने के लिए विवश होता था। इसका असर हुआ कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसान जो उपज पैदा करता था, वह साहूकारों के कर्ज चुका पाने भर होता था, कई बार उपज कम होने पर साहूकार का कर्ज नहीं उतर पाता तो ऐसे में किसान आत्महत्या का रास्ता चुनने को विवश हो जाते थे, लेकिन अब स्थितियाँ बदलगयी है, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने के बाद किसान अपनी पसंद का बीज खरीदते है और अपने हिसाब से खाद डालते है, (Ramakumar and Chavan, 2007)[8]।

जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति

भारत में प्राय: सभी राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कार्यान्वयन किया गया है। मुख्यतया सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित किए जा रहे है इस संदर्भ में तालिक नं0-1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल जारी किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा जारी की जा रही अग्रिम राशि में भी वृद्धि हो रही है। सिवार जारी कार्ड संख्या की दृष्टि से क्रमश: वाणिज्यिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थान है।

योजना की शुरुआत के बाद से जारी किए गए के.सी.सी. कार्डों की एजेंसी-वार संख्या नीचे तालिका 2 और चार्ट 2 में दी गई है।

तालिका 2: वर्ष के दौरान जारी एजेंसी-वार किसान क्रेडिट कार्ड (लाख में)

तालिका 2: वर्ष के दौरान जारी एजेंसी-वार किसान क्रेडिट कार्ड (लाख में)

Year	KCC Cards issued (lakhs)				% share in total no of cards issued		
	Coop	RRBs	Comm Banks	Total	Coop	RRBs	Comm Banks
1998-99	01.56	0.06	6.22	7.84	19.90	0.77	79.34
1999-00	35.95	1.73	13.66	51.34	70.02	3.37	26.61
2000-01	56.14	6.48	23.90	86.52	64.89	7.49	27.62
2001-02	54.36	8.34	30.71	93.41	58.20	8.93	32.88
2002-03	45.79	9.64	27.00	82.43	55.55	11.69	32.76
2003-04	48.78	12.74	30.94	92.46	52.76	13.78	33.46
2004-05	35.56	17.29	43.95	96.8	36.74	17.86	45.40
2005-06	25.98	12.49	41.65	80.12	32.43	15.59	51.98
2006-07	22.97	14.06	48.08	85.11	26.99	16.52	56.49
2007-08	20.91	17.73	46.06	84.7	24.69	20.93	54.38
2008-09	13.44	14.14	58.30	85.88	15.65	16.46	67.89
2009-10	17.50	19.50	53.10	90.1	19.42	21.64	58.93
2010-11	28.10	17.70	55.80	101.6	27.66	17.42	54.92
2011-12	29.95	19.96	68.04	117.54	25.18	16.93	57.89
2012-13	26.79	20.30	82.43	129.52	20.68	15.67	63.65
2013-14	26.89	21.35	NA				
2014-15	17.32	24.96	NA				
Cumulative since inception	**507.99**	**238.47**	**717.52***	**1463.98**	**34.70**	**16.29**	**49.01**

Source: Study on Implementation of Kisan Credit Card Scheme, Department of Economic Analysis and Research (DEAR), NABARD Head Office Mumbai, 2016, Mumbai.

चार्ट 2: वर्ष के दौरान जारी एजेंसी-वार किसान क्रेडिट कार्ड

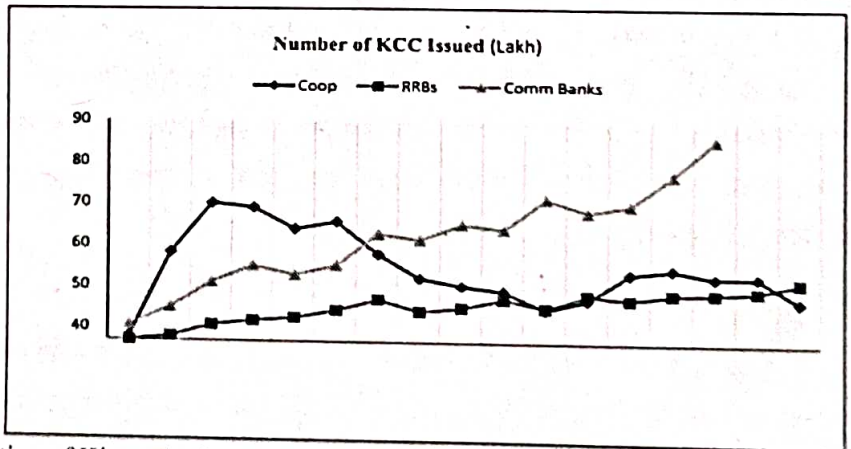

Source: Study on Implementation of Kisan Credit Card Scheme, Department of Economic Analysis and Research (DEAR), NABARD Head Office Mumbai, 2016, Mumbai.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 अगस्त 2012 तक कोऑपरेटिव बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सम्मिलित रूप से 406 लाख तथा इसी अवधि में वाणिज्यिक बैंको द्वारा 547.49 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का निर्गमन किया गया था। इन कार्डों के माध्यम से कोऑपरेटिव तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 31 अगस्त 2012 तक कुल 1,12,333.00 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये वही वाणिज्यिक बैंको द्वारा 3,53,144.82 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों में सहकारी संस्थाओं का प्रतिशत 2006-07 में 72.57 प्रतिशत ऋण दिया जा रहा था जो 2011-12 में 72.13 प्रतिशत व 2012-13 में घटकर 59.61 प्रतिशत हो गया। नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2012 को प्राप्त आंकडेध के अनुसार बैंकिंग प्रणाली द्वारा 11.39 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध कराए जा चुके है तथा इसके लिए 5,72,617 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति की जा चुकी है। 1998 से लेकर 31 मार्च 2013 तक 13.98 करोड़ इल्लजारी किए गये जिनके सापेक्ष 1262.8 अरब रूपये का ऋण स्वीकृत था, (नाबार्ड-2016)[9]।

निष्कर्ष

चूंकि गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कुछ न कुछ खेती का काम होता है, ऐसे में किसान खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेते है और समय पर बुवाई, जोताई करके न सिर्फ पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करते है, बल्कि वह अपनी उपज बेचकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी कर रहे है। किसान क्रेडिट कार्ड ने गांवों में चल रहे साहूकारी प्रथा को खतम कर दिया है। अब भारत सरकार ने समय पर ऋण चुकाने पर सिर्फ चार फीसदी व्याज दर पर कृषि ऋण देने की घोषणा करके ग्रामीण जनजीवन को आर्थिक संवृद्धि प्रदान करने का काम लिया है, इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों के विस्तार एवं ग्रामीण एवं किसानो की बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रयास की आवश्यकता है। आज भी 51 प्रतिशत के लगभग सीमान्त कृषक के आय प्राप्ति का कोई आधारभूत स्रोत नहीं है। यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व कमजोर वर्गो को बैंकों से जोड़ा जाय, और यथा शीध्र ऋण प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाय। कृषि साख की सफलता ग्रामीणों क्षेत्रों में तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब हम कृषि साख से संबन्धित ग्राहकों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराकर, इससे उनकों वित्तीय उत्पादों को समझने में मदद मिलेगी और इनसे होने वाले जोखिम और लाभ का विश्लेषण वह स्वयं कर सकेंगे। यदि वित्तीय योजनाओं को निष्ठा और उत्साह पूर्वक लागू किया गया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रामीण विकास की दिशा में कृषि साख एक उत्प्रेरक के रूप मे काम करेगा और ग्रामीणों को बचत, ऋण निवेश, पेंशन बीमा इत्यादि के लाभ से अवगत करेगें, बस आवश्यकता इस बात की है कि ऋण व्यवस्था के बैंकिंग प्रणाली को सरल किया जाए, ताकि इनका लाभ भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके, तभी समृद्ध भारत की कल्पना की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम कं. वी. एम. (2018), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड सन्स प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ- 318-325.
2. मिश्र, एस. कं. एवं पुरी वी. के (2018), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृष्ठ - 370-375.
3. लाल, एस. एन. (2019), भारतीय अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकीय सर्वेक्षण, शिव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद पृष्ठ 118 -126.
4. Murugesan Selvam (2011), Kisan Credit Card in Agriculture: An Overview, https://www.researchgate.net/publication/344439683_Kisan_Credit_Card_in_Agriculture_An_Overview, Pp N. 05-10.
5. Govt. of India (2020-21), Agriculture & Food Management, Economic Survey, Pp N. 225-237.
6. Areendam Chanda (2019), Evaluating the Kisan Credit Card Scheme, https://www.researchgate.net/publication/266889177_Evaluating_the_Kisan_Credit_Card_Scheme, Pp N. 04-10.
7. Taufiq Ahmad (2019), Kisan Credit Card (KCC): A tool to answer problems of farmers, https://www.researchgate.net/publication/335220332_Kisan_Credit_Card_KCC_A_tool_to_answer_problems_of_farmers, Pp N. 2-12.
8. Ramakumar,R., and Pallavi Chavan, (2007), Revival of Agricultural Credit in the 2000 : An Explanation, Economic and Political Weekly, December 29, Pp N. 51-64.
9. NABARD (2016), Study on Implementation of Kisan Credit Card Scheme, Department of Economic Analysis and Research (DEAR), December Mumbai Pp N. 21-25.